न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 06 / 2023 बउनवान

1. सत्यनारायण आयु 66 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी सरस्वती नगर द्वितीय नहर के पास, अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)
2. मुकुट बिहारी आयु 63 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) मो0 नं0 9414844184 **(प्रार्थीगण)**

बनाम

1. प्रेमशंकर आयु 55 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी म.नं. 3–सी–3, संतोषी नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0)
2. प्रेमलता आयु 60 वर्ष पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी 2–टी–17 तलवंडी कोटा जिला कोटा (राज0)
3. कैलाश बाई आयु 85 वर्ष पुत्री श्री कांसीलाल पत्नि स्व0 श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी सेक्टर–7 म. नं.–17 केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
4. नरेन्द्र कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवासी पुलिस थाने के सामने अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
5. रामस्वरूप आयु 48 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता हाल निवासी सेक्टर–7, म.नं.–17 केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0) **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235, 237 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**
2. श्री कृष्णकांत शर्मा, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 18.10.2024

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्षकारान के मध्य एक वाद नरेन्द्र कुमार वगैरह बनाम सत्यनारायण वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के यहां बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। उक्त वाद में वादी नरेन्द्र कुमार पेशे से वकील है तथा अन्ता में ही वकालत करता है तथा निरन्तर रूप से अधिकारियों के सम्पर्क में रहता है तथा बार एसोसिएशन अन्ता एक रजिस्टर्ड संस्था है के द्वारा यह प्रस्ताव लिया हुआ है कि किसी भी मुकदमे में जिसमें वादी या प्रतिवादी के रूप में एडवोकेट पक्षकार हो उसके विरूद्ध अन्ता बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य पैरवी नहीं करेगा। उक्त वाद में पक्षकारान्त की तलवी हो चुकी है तथा प्रार्थीगण की ओर से अन्ता के सभी वकीलो ने उक्त वाद में वादी के विरूद्ध पैरवी करने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा बारां के अधिवक्ता को सम्पर्क कर वकालत नामा तो प्रस्तुत करवा दिया परन्तु वह भी प्रत्येक पेशी पर अन्ता जाने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं तथा मुकदमा सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित है, जिसमें प्रार्थीगण के हित जुड़े हुए है, तथा उनकी ओर से अन्ता का कोई वकील खड़ा न होने के कारण उक्त मुकदमे में न्याय प्राप्त नहीं होने की समस्याओं से इंकार नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत रहा है कि कानूनी जानकारी के अभाव में किसी भी पक्षकार को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी अंता के कार्यालय में कोई वकील पैरवी करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण का अन्य न्यायालय मे स्थानांतरण किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में मुकदमा प्रार्थीगण के जवाब की स्टेज पर है तथा अन्तरिम रूप से 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र सं. 14 / 2021 में एक तरफा कार्यवाही कर जवाब पेश होने तक काश्त व्यवस्था में दखल [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हुए हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आदेश अधिवक्ता [illegible] होने के कारण जारी किये गये है। तथा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य कार्यवाही [illegible] न्यायालय अवमानना की कार्यवाही भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें भी प्रार्थीगण की ओर से कोई [illegible] पैरवी करने हेतु [illegible] नहीं होने पर उसका निर्णय भी प्रार्थीगण के विरूद्ध आने [illegible] से कोई भी योग्य [illegible] अधिवक्ता अन्ता न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करने को तैयार नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:12:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रहे हैं, इसका सीधा–सीधा फायदा अप्रार्थीगण को हो रहा है। न्याय प्राप्ति के लिए उक्त प्रकरण का स्थानांतरण किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2021 बउनवान मुकदमा नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण सं. 14/2021 नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह एवं न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी।

अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि उक्त उनवान का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्ता के समक्ष विचाराधीन होना तथा नरेन्द्र कुमार का वकील होना स्वीकार है शेष तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये हैं स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के इस चरण में बार एसोसिएशन अंता द्वारा तथाकथित प्रस्ताव लिये जाने को आधार बनाकर गैर कानूनी रूप से उक्त आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार होने से बलपूर्वक अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद में बार एसोसिएशन अंता द्वारा ऐसा कोई तथाकथित प्रस्ताव नहीं लिया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव अस्तित्व में है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथाकथित प्रस्ताव भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध विचाराधीन उक्त वाद मे अनुभवी व योग्य वकील से पैरवी करवाने के आशय से स्वेच्छा से श्री नरेन्द्र सोमानी को अपना वकील नियुक्त किया है जो नियमित रूप से वाद में उपस्थित होकर पैरवी करते चले आ रहे हैं। उक्त वाद में उनके वकील साहब द्वारा दिनांक 08.09.2021 को जवाबदाता/प्रतिदावा व धारा 212 आरटीएक्ट का जवाब पेश किया गया है जो उनकी ओर से उक्त मुकदमें मे पैरवी करने के तथ्य की स्पष्टता प्रमाणित करता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोमानी अंता न्यायालय में अन्य मुकदमों Cr. Reg 247/2015 सरकार बनाम रितेश शर्मा वाद संख्या 33/2015 अब्दुल जमील बनाम अब्दुल सलीम, CM 31/2015 अब्दुल जमील बनाम अब्दुल सलीम आदि में भी उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोमानी नियमित रूप से अंता न्यायालय मे उपस्थित होकर पैरवी करते हैं इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन कि उनके अधिवक्ता अंता न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करने में असमर्थ है, पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही आदेश 39 नियम 2ए न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही में भी दिनांक 08.09.2021 को ही उक्त वकील साहब के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्टतया प्रमाणित है कि प्रार्थीगण की ओर से नियुक्त किये गये उक्त वकील साहब उक्त वाद अन्य कार्यवाही में प्रार्थीगण की ओर से नियमित उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद व अन्य कार्यवाही में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद को जवाब की स्टेज पर होना मिथ्या रूप से अंकित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्वक आशय से माननीय न्यायालय में पेश किया है। विशेष आपत्तियों में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा महज उक्त वाद को विलंबित करने के दुराशय से मिथ्या, मनगढन्त एवं निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे उक्त वाद को अन्तरित करने हेतु जो आधार अंकित किये हैं उक्त आधार पूर्णतया मिथ्या, मनगढन्त एवं निराधार है। इस कारण उक्त तथाकथित आधारों पर कानूनन उक्त वाद को अन्तरित नहीं किया जा सकता है। बार एसोसिएशन अंता द्वारा उक्त वाद में किसी वकील द्वारा पैरवी नहीं करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। वास्तविकता मे प्रार्थीगण उक्त वाद में अनुभवी व योग्य वकील से पैरवी करवाना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:12:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक नहीं होना बताते हुए अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का कथन किया अभिभाषक अप्रार्थीगण ने भी इस बाबत कोई आपत्ति नहीं की। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मयपक्षकारान के मध्य एक वाद नरेन्द्र कुमार वगैरह बनाम सत्यनारायण वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता के यहां बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। उक्त वाद में वादी नरेन्द्र कुमार पेशे से वकील है तथा अन्ता में ही वकालत करता है तथा निरन्तर रूप से अधिकारियों के सम्पर्क में रहता है तथा बार एसोसिएशन अन्ता एक रजिस्टर्ड संस्था है के द्वारा यह प्रस्ताव लिया हुआ है कि किसी भी मुकदमे में जिसमें वादी या प्रतिवादी के रूप में एडवोकेट पक्षकार हो उसके विरूद्ध अन्ता बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य पैरवी नहीं करेगा। अतः निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2021 बउनवान मुकदमा नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण सं. 14/2021 नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह एवं न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की कृपा करें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के इस चरण में बार एसोसिएशन अंता द्वारा तथाकथित प्रस्ताव लिये जाने को आधार बनाकर गैर कानूनी रूप से उक्त आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार होने से बलपूर्वक अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद में बार एसोसिएशन अंता द्वारा ऐसा कोई तथाकथित प्रस्ताव नहीं लिया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव अस्तित्व में है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथाकथित प्रस्ताव भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध विचाराधीन उक्त वाद मे अनुभवी व योग्य वकील से पैरवी करवाने के आशय से स्वेच्छा से श्री नरेन्द्र सोमानी को अपना वकील नियुक्त किया है जो नियमित रूप से वाद में उपस्थित होकर पैरवी करते चले आ रहे हैं। उक्त वाद में उनके वकील साहब द्वारा दिनांक 08.09.2021 को जवाबदाता/प्रतिदावा व धारा 212 आरटीएक्ट का जवाब पेश किया गया है जो उनकी ओर से उक्त मुकदमें मे पैरवी करने के तथ्य की स्पष्टता प्रमाणित करता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोमानी अंता न्यायालय में अन्य मुकदमों में भी उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोमानी नियमित रूप से अंता न्यायालय मे उपस्थित होकर पैरवी करते हैं इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन कि उनके अधिवक्ता अंता न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करने में असमर्थ है, पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार होने से स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस फर्द के साथ अध्यक्ष अभिभाषक परिषद् अन्ता द्वारा दिनांक 18.09.2024 को जारी तहरीर पेश की जिसमें स्पष्ट अंकित है कि सन् 2021–2022 से सत्यनारायण बनाम नरेन्द्र वगैरह व नरेन्द्र वगैरह बनाम सत्यनारायण वगैरह के 3 प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर अन्ता एवं न्यायालय सिविल न्यायालय अन्ता में एक प्रकरण चल रहा है। अन्ता न्यायालय में नरेन्द्र कुमार चौधरी अधिवक्ता होने से इनके विरूद्ध कोई अधिवक्ता पैरवी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2021 बउनवान मुकदमा नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण सं. 14/2021 नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह एवं न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में अन्तरित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तीनों पत्रावलियां अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को भिजवावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से पत्रावलियां प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान दिनांक 28.11.2024 को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज में उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:12:57 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
बारां (राज०)